न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 93/2018 **दायरा दिनांक : 26.06.2018**

उनवान

दाखांबाई आयु 80 वर्ष पुत्री लक्ष्मण, जाति माली, निवासी भूमरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— नारायण पुत्र कालू, जाति माली, निवासी भूमरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 94/2018 **दायरा दिनांक : 26.06.2018**

उनवान

दाखांबाई आयु 80 वर्ष पुत्री लक्ष्मण, जाति माली, निवासी भूमरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— नारायण पुत्र कालू, जाति माली, निवासी भूमरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रामचरण मीणा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.10.2018

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या — 673/दावा/2018 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.02.2018 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17.04.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम भूमरी, तहसील खानपुर में नया खाता संख्या 77 पुराना 75 की खसरा नम्बर 95 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 147 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 148 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 150 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 151 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 572 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 573 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 574 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा

कुल 9 किता की 30 बीघा 3 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा है और प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है । शामलाती खाते में आराजी होने के कारण लगान जमा करवाने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, और भूमि का विकास करवाने में विवाद होता है तथा काश्त करने में काफी कठिनाई आती है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.02.2018 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और दिनांक 17.04.2018 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 93/2018 प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई । अपील में यह कथन किया गया है कि प्रकरण पूर्व में दिनांक 18.09.2017 को न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया था कि पक्षकारान दिनांक 28.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होवें, परन्तु न्यायालय हाजा में नियुक्त मेरे अभिभाषक द्वारा उक्त तारीख पेशी बाबत कोई सूचना नहीं दी गई और दिनांक 28.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही हो गयी । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम करके एवं वादी एवं उसके गवाहों के बयान लेखबद्ध करके दिनांक 27.02.2018 को एक तरफा डिक्री पारित कर दी । जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्राकृतिक न्याय एवं सी पी सी के प्रावधानों की पालना कर नोटिस जारी करना चाहिए था । जबकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिक कार्यवाही अमल में लानी चाहिए था जो नहीं लायी गई । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.06.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 94/2018 अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है । उसमें यह अंकित गया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2018 को विभाजन प्रस्ताव करने से पूर्व अपीलांटा को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों एवं सी पी सी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस देना चाहिए था और आपत्तियां सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए था । माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अंतिम डिक्री पारित की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.06.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत एवं सी पी सी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया और आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारंभिक डिक्री जारी की है और तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन की अंतिम डिक्री विधि सम्मत् रूप से जारी की है । अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । तहसील से जो बंटवारा प्रस्ताव आया है उसका अवलोकन किया गया । मौका रिपोर्ट पटवारी और आई एल आर के द्वारा तैयार की गई है । रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा सलंग्न नहीं है, जबकि तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए । राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना होना नहीं पाया जाता है जबकि उक्त नियमों के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का समान रूप से, नक्शा प्रदर्शित करते हुए पक्षकारान को सुनते हुये विभाजन किया जाना चाहिए था । बंटवारा प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 93/2018 एवं 94/2018 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 27.02.2018 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17.04.2018 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार बनाकर उनसे जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर राजस्व मंडल नियम 18 से 21 की पालना कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर में दिनांक 26.12.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा